


**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपक, जिला धौलपुर**

प्रकरण संख्या:- /2024

बमुक0: गुड्डीदेवी बनाम समुन्द्रसिंह बगैरा

दावा बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा  
आधीन धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

तारीख पेशी	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
26-06-2024	दावा बाद जांच कार्यालय से पेश हुआ। वादिया वकील उपस्थित। वादिया वकील को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 18.09.2024 को पेश हो।	
18/9/2024	पत्रावली पेश हुयी। वादिया वकील उपस्थित P.O साहब को सूचना-तलब हो चुका है। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 04-12-2024 को पेश हो।	
4/12/24	पत्रावली पेश/वकील वादिया उप। P.O. सा. राजकार्य में व्यस्त है पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 27/12/25 को पेश हो।	
27/12/25	पत्रावली पेश हुयी न तो स्वयं वादिया एवं न ही उनके अधिवक्ता उप। करी बार प्रत्यक्ष न्यायाधीश को उप नही भेजा कर? दया वादिया उप। धर्मि उप। पत्रावली वादीगण ने खारिज किया गया है पत्रावली फिलहाल शुरू होकर कार्यालय दफ्तार है।	

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 सैंपक